Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5252/2003/सवाई माधोपुर

निरोती पुत्र हटीला जाति कोली निवासी ग्राम खण्डीप तहसील गंगापुरसिटी

अपीलार्थी

बनाम

1 जगदीश पुत्र हरिचरन
2 सुतीक्षण पुत्र हरिचरन
3 आशा देवी पुत्री हरिचरन
4 मुं0 नर्बदा देवी बेवा हरिचरन समस्त जाति सुनार निवासी खण्डीप तहसील गंगानुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर
5 राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार, गंगापुरसिटी

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.के.पंत वकील अपीलार्थी
श्री एम.एल.पोकरणा वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक.28.2.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 186/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण ने एक वाद बबात घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खण्डीप में स्थिति साबिक खसरा नम्बर 1368/1/47 रकबा 5 बीघा भूमि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्की है। इसके नवीन खसरा नम्बर 1258 रकबा 1.25 हेक्टर बनाकर वादी के नाम इन्द्राज किया है। नवीन खसरा नम्बर 324 रकबा 1.02 हेक्टर

प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज किया है जो गलत है। भू प्रबनध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज किया गया है। खसरा नम्बर 324 पर प्रतिवादी अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। वादी का कब्जा नवीन खसरा नम्बर 324 के 95 एयर पर व खसरा नम्बर 1258 के 30 एयर पर चला आ रहा है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्रूायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 7 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 30.8.2002 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्व वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.9.2003 से अपील स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि साबिक खसरा नम्ब्र 1367/11 रकबा 5 बीधा भूमि का आवंटन प्रतिवादी अपीलार्थी को दिनांक 20.10.75 को किया गया था। इसके नवीन खसरा नम्बर 324 बनना मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है। वादी प्रत्यर्थी का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं होने से विचारण न्यायालय ने दावा खारिज किया एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट को आधार बनाया है जो गलत है। प्रथम तो यह रिपोर्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में बनी है जिसे दावे में नहीं पढा जा सकता। द्वितीय यह रिपोर्ट अपीलार्थी प्रतिवादी की अपुस्थिति में बनाई गई। मौका रिपोर्ट किसी एक पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु नहीं बनाई जा सकती। रिपोर्ट को सिद्व भी नहीं कराया गया है। वादी प्रत्यर्थी ने अपने दावे में खसरा नम्बर 1258 की 95 एयर भूमि को उसके नाम से हटाने के बाबत कोई कथन नहीं किया है न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्णय दिया है। इस प्रकार वादी को उसके आवंट्ति 5 बीघा भूमि से ज्यादा का खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी अपीलार्थी को आवंट्ति 5 बीघा रकबे से महरूम करने का आदेश दिया है जो अनुचित एवं निराधार है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि वादी को साबिक खसरा नम्बर 1368/1/47 में 5 बीघा भूमि आवंट्ति की गई है। इसके पडौस में 1368/1/46 व 1368/1/48 के मध्य स्थित है। खसरा नम्बर 1368/11 से नवीन खसरा नम्बर 324 बने हैं जिस पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त नही है। बल्कि वादी प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त है जिसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य के अलावा मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी होती

है। स्वंय निरोती ने खसरा नम्बर 324 पर उसका कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर वादी का वाद साबित होने से डिक्री किया है। प्रतिवादी अपीलार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे उसका खसरा नम्बर 324 पर कब्जा होना साबित होता है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादी ने प्लीडिंग से बाहर जाकर साबिक खसरा नम्बर 1368/1/46 व 1368/1/48 के मध्य उनकी भूमि स्थित होना कथन किया है। इसके साथ नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 पेश की है जो जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी के सलंग्न नक्शा ट्रेस से जारी किया है जो लैण्ड रेकार्ड रूल्स के अनुसार जमाबन्दी के साथ कोई नक्शा ट्रेस सलंग्न नहीं होता है। जिससे नक्शा ट्रेस की जारी की गई नकल को नहीं माना जा सकता। मौका कमिश्नर रिपोर्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में मंगाई गई है तथा इस पर निरोती प्रतिवादी अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है न वह हाजिर भी नहीं था, वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर वाद खारिज किया है। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 324 पर प्रतिवादी का कब्जा नहीं होना, व साबिक खसरा नम्बर 1368/11 रकबा 5 बीघा प्रतिवादी को आवंटित हुआ है परन्तु हाल खसरा नम्बर 324 का रकबा 1.02 हेक्टर ही अंकित किया है जबकि यह 1.25 हेक्टर होना चाहिये। साबिक खसरा नम्बर 1368/11 से नवीन खसरा नम्बर 324 बनना साबित नहीं होने से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2033 से 36 में साबिक खसरा नम्बर 1368/1/47 रकबा 5 बीघा भूमि हरचरण वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पिता के गैर खातेदारी में दर्जहै। जमाबन्दी सम्वत 2044 से 47 में हरिचरन के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2048 से 51 में नवीन खसरा नम्बर 324 निरोती पुत्र हटीला कोली की खातेदारी में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 1368 मी. रकबा 5 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 1258 रकबा 1.25 हेक्टर बने हैं।

8. यह स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थी को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 1258 रकबा 1.25 हेक्टर बने हैं। खसरा पत्रक इसकी पुष्टि करता है। इसके खण्डन स्वरूप

सप्रमाण कथन प्रस्तुत नहीं हुए हैं। साबिक रकबे 5 बीघा के मुकाबले हाल रकबा बराबर बैठता है। इसी प्रकार प्रतिवादी अपीलार्थी को भी 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 324 रकबा 1.02 हेक्टर बने हैं। प्रतिवादी का रकबा साबिक के मुकाबले 23 एयर कम अंकित किया गया है। वादी का कथन है कि उसका कब्जा खसरा नम्बर 324 के 90 एयर रकबे पर है। जबकि खसरा नम्बर 324 प्रतिवादी अपीलार्थी के खातेदारी का है। यदि इस खसरा नम्बर 324 पर वादी का कब्जा है तो वादी ने अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादी का रकबा कहां है। वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रतिवादी अपीलार्थी का आवंटन निरस्त हुआ हो। ऐसी स्थिति में 1999 आर.बी.जे. पेज 310 एवं 1998 आर.एल.डब्ल्यूत्र (2) पेज 773 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रतिवादी अपीलार्थी का आवंटन यथावत व विधि अनुरूप होने से हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 30.8.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष